BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 89 OF 2026

IN THE MATTER OF:

Rakesh Bansal **…Applicant**

Versus

State of U. P. & Ors. **…Respondent(s)**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response on behalf of the Respondent No.-2, Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-5
2.	**ANNEXURE R-2/1** A detailed inspection report alongwith its respective annexure containing all factual aspects, site conditions, photographs and observations	6-21

THROUGH

DATE: 07.04.2026
PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 89 of 2026

<u>IN THE MATTER OF:</u>

Rakesh Bansal **...Applicant**

VERSUS

State of U. P. & Ors. **...Respondent(s)**

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

<u>RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-2, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD.</u>

I, Vimal Kumar, aged about 58 years S/o Late Shri Shiv Prasad, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Bulandshahr do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I the deponent in official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That by mean of the present Original Application the applicant has alleged that Respondent No. 5 – Brick Kiln is operating in violation of the environmental norms and has wrongly been granted the CTO and the siting criteria in respect of residential habitation, educational institution, religious places, temple, etc. has also been violated.

3. That the present matter was taken up by this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as Hon'ble Tribunal) on 05.02.2026. Upon considering the grievance this Hon'ble Tribunal was pleased to direct the respondents to file their reply/response by issuing the notice.

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

4. That in compliance to the order dated 05.02.2026 passed by the Hon'ble Tribunal, the officials of the UPPCB have undertaken the site visit and carried the inspection of Respondent No. 5, i.e. M/s RPS Brick field, situated at Village-Dulehra, Tehsil-Sinkandrabad, District-Bulandshahr on 25.02.2026.

5. That during the course of inspection, it was found that the brick kiln namely M/s RPS Brick Field is situated on Arazi No 59, Gata Nos 516, 517, 518 and Arazi No. 96, Gata No. 520 in Village-Dulehra, Tehsil-Sinkandrabad, District-Bulandshahr, and the unit has been reported to be in operation since the year 2011. It was further observed by the committee that the brick kiln is using soil mixed with water as raw material and approximately 20,000 brick per day and operating with Zig- Zag technology and a fixed chimney of about 30 meters height has been installed for emission control. It was also observed that no industrial effluent is generated during the process and domestic wastewater is being disposed of through septic tank/soak pit. As per office report the unit had obtained Consent to Operate (CTO) vide letter dated 14.06.2011 and is presently operating with valid Consolidated Consent to Operate and Authorization (CCA) dated 19.12.2025, valid up to 31.07.2029.

6. That it is further submitted that the unit was established prior to 27.06.2012, therefore, applicable siting criteria are not fully retrospective in nature. During inspection, nearby habitation and sensitive locations were also verified, and it was found that:

- Village Nurpur habitation is situated at a distance of approximately 437 meters in south-west direction,
- Primary School , Dulehra is situated at a distance of approximately 564 meters in north-east direction,
- A temple is situated at a distance of approximately 405 meters in south east direction from the brick kiln site.

7. That it is further most respectfully submitted that M/s RPS Brick Field previously known as M/s RS Brick Industry was established in year 2011 at Village-Dulehra, Tehsil-Sinkandrabad, District-Bulandshahr and first CTO to the brick kiln was issued in favour, by the UPPCB on 14.06.2011. As the RPS Brick Field was established and operated prior to 27th June, 2012, thus the provisions of 21st November, 1992 promulgated by the Zila Panchayat, Bulandshahr regarding the site and suitability of brick kiln are effective and the said brick kiln site is in accordance with the bye-laws as promulgated by the Zila Panchayat, Bulandshahr.

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

8. That for kind perusal of this Hon'ble Tribunal, a detailed inspection report alongwith its respective annexure containing all factual aspects, site conditions, photographs and observations has been prepared and the same is being annexed herewith as **Annexure R-2/1**.

9. That the above response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration. It is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at .... on this the .... day of March, 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

प्रमाणित करता हूं कि श्री ......
ने जिसकी पहचान श्री ......
आज दिनांक ...... को
प्रातः साथ मेरे ...... शपथ पत्र के
उक्त लेख को सुनकर समझकर सत्य होना
स्वीकार किया। शुल्क ......

अशोक कुमार
एडवोकेट/नोटरी (पब्लिक)
बुलन्दशहर (उ0प्र0)

भारत सरकार
Government of India

विमल कुमार
Vimal Kumar
जन्म तिथि / DOB : 22/(1/1967
पुरुष / Male

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O: शिव प्रसाद, 2 / 22, रुचि खंड-2, शारदा नगर, लखनऊ कैंटोनमेंट, लखनऊ, दिलकुशा, उत्तर प्रदेश, 226002

Address:
S/O: Shiv Prasad, 2 / 22, Ruchi Khand 2, Sharda Nagar, Lucknow Cantonment, Lucknow, Dilkusha, Uttar Pradesh, 226002

1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP95473431704239Y

सत्यमेव जयते

e-Stamp

₹10

Certificate No.	:	IN-UP95473431704239Y
Certificate Issued Date	:	07-Apr-2026 12:58 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14741504/ BULANDSHAHR SADAR/ UP-BLS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14741504861084136I2365Y
Purchased by	:	VIMAL KUMAR CHHETRAADHIKARI BULANDSHAHR
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	VIMAL KUMAR CHHETRAADHIKARI BULANDSHAHR
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	VIMAL KUMAR CHHETRAADHIKARI BULANDSHAHR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

ARCHANA SHARMA
Signature
License no.: 11/2021
Judge Compound
Bulandshahr
ACC CODE: UP14741504

₹10

IN-UP95473431704239Y

Please write or type below this line

प्रमाणित करता हूँ कि श्री .... ने जिसकी पहचान श्री .... आज दिनांक .... को प्रातः साथ मेरे सम्मुख इस शपथ पत्र के उक्त लेख को सुनकर समझकर सत्य होना स्वीकार किया। शुल्क............

अशोक कुमार
एडवोकेट/नोटरी (पब्लिक)
बुलन्दशहर (उ०प्र०)

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ANNEXURE R-2/1

दूरभाष : 05732–233879
क्षेत्रीय कार्यालय फैक्स : 05732–233879
ई–मेल : *robulandshahar@uppcb.in*
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
Uttar Pradesh Pollution Control Board
F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर–203001

संदर्भ : 1032/M-4/26 दिनांक : 18/03/26

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 89/2026 राकेश बंसल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2026 के अनुक्रम में मै0 आर0पी0एस0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 89/2026 राकेश बंसल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2026 के अनुक्रम में संदर्भित ईट भट्टा मै0 आर0पी0एस0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर का स्थल निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 25/02/2026 में किया गया। उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की तिथि 14.04.2026 नियत है। तत्क्रम में आख्या मूलरूप में पत्र के साथ संलग्नकर बोर्ड अधिवक्ता को ड्राफ्ट शपथ–पत्र तैयार कराये जाने के अनुरोध से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है, जिससे कि मा0 एन0जी0टी0 में ससमय Compliance/Reply दाखिल किया जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

<u>मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 89/2026 राकेश बंसल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2026 के अनुक्रम में मै0 आर0पी0एस0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर की निरीक्षण आख्या ।</u>

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 89/2026 राकेश बंसल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2026 के अनुक्रम में संदर्भित ईट भट्टा मै0 आर0पी0एस0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर का स्थल निरीक्षण इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 25/02/2026 में किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्टा बंद पाया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री सुभाष चन्द्र शर्मा उपस्थित थे। विस्तृत आख्या निम्नवत् हैं:–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार मै0 आर0पी0एस0 ब्रिक फील्ड, खाता सं0–59 के गाटा संख्या–516, 517, 518 एवं खाता सं0–96 के गाटा सं0–520, ग्राम–दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर में वर्ष 2011 से संचालित है।
2. ईट भट्टे द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी पानी का प्रयोग कर लगभग 20,000 ईट/दिन का उत्पादन किया जाता है।
3. ईट भट्टे में ईटों को पकाने हेतु एग्रोवेस्ट का प्रयोग किया जाता है ईट भट्टे में ईधन के जलने से जनित गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जिग–जैग पद्वति एवं भूतल से लगभग 30 मी0 ऊँची फिक्स चिमनी स्थापित है। ईट भट्टे द्वारा गैसीय उत्सर्जन के अनुश्रवण हेतु पोर्ट होल, प्लेट फार्म एवं सीढ़ी की स्थापना की गई है।
4. ईट भट्टे में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन तथा ईटों की पथाई हेतु मिट्टी तैयार किए जाने में किया जाता है। ईट भट्टे में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। ईट भट्टे में जल के घरेलू प्रयोजन से जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से किया जाता है।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे को पूर्व में मै0 आर0के0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के नाम से राज्य बोर्ड के संदर्भ सं0–2071/बी0आर0–20/जल प्रदूषण/2011 दिनांक 14.06.2011 एवं संदर्भ सं0–2072/बी0आर0–20/वायु प्रदूषण/2011 दिनांक 14.06.2011 के माध्यम से ईट भट्टा संचालन हेतु सहमति जल एवं सहमति वायु निर्गत की गई थी, जिससे स्पष्ट है कि उक्त ईट भट्टे की स्थापना एवं संचालन वर्ष 2011 में किया गया है तथा उक्त ईट भट्टे की स्थापना एवं संचालन हेतु जिला पंचायत, बुलन्दशहर की गाइडलाइन्स प्रभावी है तथा उक्त ईट भट्टे के स्थापना एवं संचालन हेतु उ0प्र0 ईट भट्टा स्थल निर्धारण हेतु प्रख्यापित गाइडलाइन्स 27 जून 2012 एवं भारत सरकार MOEF & CC द्वारा ईट भट्टे की स्थापना/संचालन हेतु प्रख्यापित नोटिफिकेशन दिनांक 22.02.2022 पर टिप्पणी किया जाना औचित्य पूर्ण नहीं है।
6. वर्तमान में मै0 आर0पी0एस0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–दुल्हैरा, सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के संचालन हेतु बोर्ड द्वारा Consolidated Consent to operate and Authorization (CCA) दिनांक 19.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत की गई है जो दिनांक 31.07.2029 तक वैध है।
7. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् है:–

8. ईट भट्ठा स्थल के आस–पास आबादी, विद्यालय एवं धार्मिक स्थल की स्थिति निम्नवत् हैः–

(1) दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग 437 मी0 की दूरी पर ग्राम नूरपुर की आबादी स्थित है।

(2) उत्तर–पूर्व दिशा में लगभग 564 मी0 की दूरी पर प्राइमरी स्कूल दुल्हैरा स्थित है।

(3) दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 405 मी0 की दूरी पर शिव मन्दिर दुल्हैरा स्थित है।

9. ईट भट्ठे के गूगल मैप के माध्यम से लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् हैः–

दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 405 मी0 की दूरी पर शिव मन्दिर दुल्हैरा स्थित है।

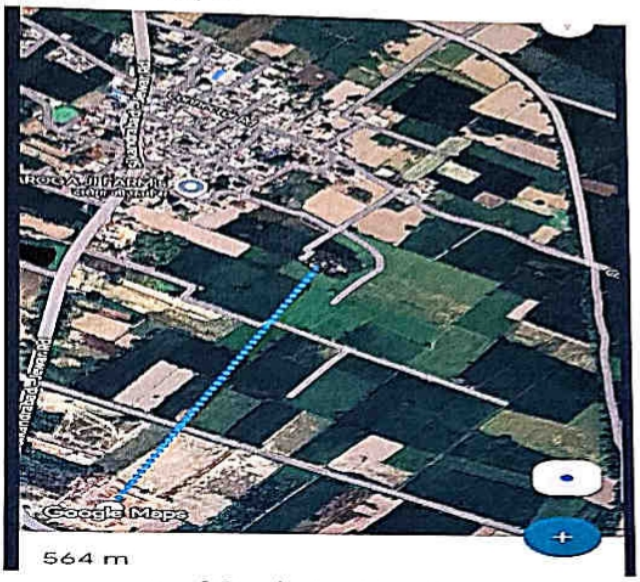

उत्तर–पूर्व दिशा में लगभग 564 मी0 की दूरी पर प्राइमरी स्कूल दुल्हैरा स्थित है।

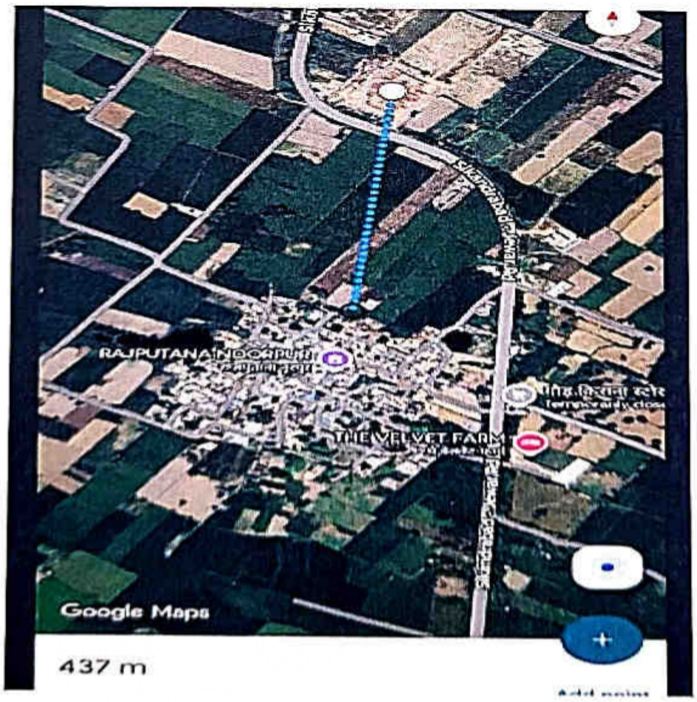

दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग 437 मी0 की दूरी पर ग्राम नूरपुर की आबादी स्थित है।

10. जिला पंचायत बुलन्दशहर की उपविधि 2(अ) के अनुसार "आबादी, सार्वजनिक इमारत, अस्पताल, विद्यालय ऐसी इमारत अथवा स्थान जो ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करने के प्रयोग में लाये जाते है, ईट भट्टा, टाइल्स, खपड़ा, चूना या सुर्खी 200 मी0 की दूरी के अन्दर न बनाया और न ही फूका जायेगा।" जिला पंचायत बुलन्दशहर की ईट भट्टा सम्बन्धी उपविधियाँ की छायाप्रति संलग्न है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत् ईट भट्टा का स्थल जिला पंचायत, बुलन्दशहर द्वारा ईट भट्टा हेतु प्रख्यापित उपविधियों के अनुरूप है।

11. निरीक्षण के दौरान गूगलअर्थ से प्रश्नगत् ईट भट्टा स्थल का सर्वेक्षण वर्ष 2011 से किया गया तथा पाया गया कि ईट भट्टा के स्थल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जब कि ईट भट्टे में पूर्व तकनीकी से परिवर्तित कर जिग–जैग हाईड्राफ्ट तकनीकी में परिवर्तन का कार्य मात्र किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत् ईट भट्टा मै0 आर0पी0एस0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य पाये गये।

(1) मै0 आर0पी0एस0 ब्रिक फील्ड (पूर्वनाम मै0 आर0एस0 ईट उद्योग) की स्थापना ग्राम–दुल्हैरा, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर में वर्ष 2011 में की गई है तथा बोर्ड द्वारा ईट भट्टा के संचालन हेतु प्रथम बार सहमति जल/वायु दिनांक 14.06.2011 में निर्गत की गई।

(2) मै0 आर0पी0एस0 भट्टा की स्थापना/संचालन 27 जून 2012 से पूर्व में होने के कारण ईट भट्टा स्थल की उपयुक्त्ता के सम्बन्ध में जिला पंचायत, बुलन्दशहर द्वारा प्रख्यापित उपवधियाँ 21 नवम्बर 1992 प्रभावी है तथा उक्त ईट भट्टा स्थल जिला पंचायत, बुलन्दशहर की ईट भट्टा हेतु प्रख्यापित उपविधियों के अनुरूप है।

(3) मै0 आर0पी0एस0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर की स्थापना/संचालन 27 जून 2012 के पूर्व में होने के कारण उ0प्र0 ईट भट्टा स्थल निर्धारण नियमावली, 2012 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ईट भट्टो के सम्बन्ध में प्रख्यापित नोटिफिकेशन दिनांक 22.02.2022 पर टिप्पणी किया जाना औचित्य पूर्ण नहीं है।

(4) ईट भट्टा मै0 आर0पी0एस0 ब्रिक फील्ड, ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के संचालन हेतु ईट भट्टा स्वामी द्वारा राज्य बोर्ड से Consolidated Consent to operate and Authorization (CCA) दिनांक 19.12.2025 प्राप्त किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.07.2029 है।

उपरोक्तानुसार आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

18/03/26
(रवि रंजन)
अवर अभियन्ता

18/03/26
(ए0के0 मिश्रा)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

18/03/2026
R.D.

Uttar Pradesh Pollution Control Board
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

Category : ORANGE

257251/UPPCB/Bulandshahar(UPPCBRO)/CTO/both/BULANDSHAHAR/2025 **Application Id : 34909179**
Date: 19/12/2025

To,

M/s

RPS BRICK FIELD

GATA NO-520, 516, VILL DULEHRA, TEHSIL SIKANDRABAD DISTT ,BULAND SHAHAR,

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to **RPS BRICK FIELD** located at **GATA NO-520, 516, VILL DULEHRA, TEHSIL SIKANDRABAD DISTT ,BULAND SHAHAR,**. subject to the provisions of **the Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA RPS BRICK FIELD **granted for the period from 19/12/2025 to 31/07/2029** and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	BRICKS	20000	Numbers/Day

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	0.5 KLD	Soak Pit	

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.
In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality.In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be

dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	STACK	AGROWASTE	1	Particulate Matter	30 METER STACK HIEGHT

Emmission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1	1	Particulate Matter	AS PER CAQM ORDER

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx for ensuring timely compliance of

this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.

8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

Specific Conditions:-

As per the CPCB list regarding the category of the industries. This unit falls in Orange category

1. This consent is being issued to M/s RPS BRICK FIELD, VILL DULEHRA TEHSIL SIKANDRABAD DISTRICT, BULAND SHAHAR for the production of Bricks-
20000 no./day
2. No water and air pollution source will be added/ installed by the brick kiln without prior permission from State Pollution Control Board.
3. Unit should not discharge any kind of industrial effluent. This consent is valid for only domestic

discharge

4. No industrial effluent should be disposed of outside brick kiln premises

5. The brick kiln unit is directed to comply with the orders passed from time to time by Hon'ble Supreme Court / Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal, Central Pollution Control Board / State Board from time to time in relation to Brick Kiln, Graded Response Action Plan, Comprehensive Action Plan for the operation of Brick Kiln.

6. Brick kiln should be based on zig-zag pattern. Brick filling and operation in the said brick kiln should be done according to zig-zag method.

7. Water sprinkling should be done to control the dust emission generated from the brick kiln.

8. Green belt should be developed around the brick kiln premises.

9. In compliance of Notification No. G.S.R. As per 143(E) dated 22.02.2022 of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi, the amount of Particulate Matter in the stack emissions generated by the brick kiln should not exceed 250 mg/Nm3 and the height of stack must not be less than as stated in the notification

10. Latest monitoring report of air emissions generated from brick kiln should be sent to this office within 15 days and monitoring report should be sent regularly in the coming year also.

11. In compliance of the Hon'ble Supreme Court order dt. 13.05.2022 passed in the Civil Appeal Diary No. 18213/2021 operation of brick kiln is not allowed after 30th June this year. The operation of brick kilns will be subject to the various orders of Hon'ble Supreme Court passed in Civil Appeal Diary No. 18213/2021.

12. The brick kiln has to mandatorily make the 6X4 feet platform and 4" porthole as monitoring facility on the stack in compliance of Hon'ble Supreme Court order dt. 13.05.2022.

13. Brick kilns shall use only approved fuel such as Piped Natural Gas, coal, fire wood and/or agricultural residues. Use of pet coke, tyres, plastic, and hazardous waste shall not be allowed in brick kiln.

14. The ash generated in the brick kilns shall be fully utilized in-house in brick making

15. All necessary approvals from the concerned authorities including mining department of the concerned State or Union Territory shall be obtained for extracting the soil to be used for brick making in the brick kiln, if applicable.

16. The brick kiln owners shall ensure that the road utilized for transporting raw materials or bricks are paved roads.

17. Vehicles shall be covered during transportation of raw material/bricks".

18. Extraction of ground water through any mechanism like bore well etc. is not allowed without prior Registration/Permission from UP Ground Water Department (UPGWD).

19. Brick kiln shall submit quarterly monitoring reports of all stacks and ambient air quality from a certified/approved laboratory.

20. The brick kiln should ensure compliance of orders/instructions issued by Commission for Air Quality Management & Adjoining Areas (CAQM&AA) from time to time.

21. DG sets should be operated fully either on PNG or on hybrid/dual fuel mode with retrofitment as per direction dt. 08.02.2022 of Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (CAQM&AA). The link of order is https://caqm.nic.in/WriteReadData/RTF/Direction%20No.55%20(UP)3370f6d2-eefa-49a8-9b6c7455bebc6196.pdf.

22. Brick kiln shall comply with various Waste Management Rules as notified by MoEf&CC i.e. Solid Waste Management Rules, 2016, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary) Rules, 2016, Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

23. Brick kiln shall submit annual returns as per above mentioned rules. Also, Environmental Statement in prescribed form as per Rule 14 of Environment (Protection) Act, 1986

24. Unit shall comply with direction issued under Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (CAQM) time to time

25. Industry shall comply with various Waste Management Rules as notified by MoEf&CC i.e.Plastic Waste Management Rules, 2016, Solid Waste Management Rules, 2016, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary) Rules, 2016, E-waste (Management) Rules, 2016, Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016

26. If any Closure Order issued by CAQM, State Pollution Control board then this CTO is only valid after revoking of Closure order issued by CAQM & State pollution control board. This is mandatory the unit could not

operated without revoking the closure order

27.Unit shall comply with the CAQM (Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas) direction no. 53 and 62 and other direction issued time to time regarding use of cleaner fuel 28.Unit shall comply with the CAQM (Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas) direction no. 76 regarding DG sets

29.This consent is issued purely from environmental angle and the Board will not be responsible for any claim, counter claim, ownership, partnership, land dispute etc of the unit

30. The unit should ensure full compliance of the conditions contained in the closure order deposited by the State Board Headquarters, Lucknow on 15.12.2025, otherwise the consent order will be automatically deemed to be cancelled without any notice/information

31.It should be ensured that dense plantation around the brick kiln is done as per Miyawaki method.

32.A paved road should be constructed near the brick kiln for the movement of vehicles.

33.In case a complaint regarding spreading of pollution is received against the brick kiln, on confirmation of the complaint, the water and air consent issued to the brick kiln will be automatically considered cancelled

VIMAL KUMAR Digitally signed by VIMAL KUMAR Date: 2025.12.19 11:11:06 +05'30'

Regional Officer

Copy to:

CEO-4, UPPCB, LUCKNOW

VIMAL KUMAR Digitally signed by VIMAL KUMAR Date: 2025.12.19 11:11:19 +05'30'

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

शिवपुरी, (स्टेट बैंक के सामने), रेलवे रोड, बुलन्दशहर – 203001

दूरभाष : 05732–259039
फैक्स : 05732–259039

संदर्भ संख्या 2071 / BR-20/जल प्रदूषण/2011 11.20.10

पंजीकृत

दिनांक 14-06-11

सेवा में,

मै० आर० के० ब्रिक फील्ड,
ग्रा० बुलैरा, तह० सिकन्दराबाद
जनपद- बुलन्दशहर।

विषय– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियिम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधन अधिनियम, 1978 एवं 1988 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्रांक शून्य दिनांक 01.06.11 के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 748/2011 दिनांक संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु संख्या (1)(4)(6)(8)(9)(13)(15)(11)(1) दिनांक पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आकृष्ट किया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।

2. जल सप्लाई श्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर जल मापक मीटर अवश्य लगवायें। मीटर की रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।

3. उद्योग के प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी–नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें वी–नाच की मापी गई सूचनायें तथा कैलीबरेशन चार्ट समय–समय पर प्रेषित करें।

4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करें। वर्तमान में घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण भूमि पर किया जा रहा है तो निस्तारण हेतु समुचित सेप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना सुनिश्चित करें।

5. आपको उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति –वर्तमान जिम्मेदारियों का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जांच की जा सके।

6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।

7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रखरखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप न हों।

8

दूरभाष : 05732–259039
फैक्स : 05732–259039

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

शिवपुरी, (स्टेट बैंक के सामने), रेलवे रोड, बुलन्दशहर – 203001

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश-प्रपत्र

संख्या ....748........ /सहमति (जल) आदेश/ 2011 .... दिनांक 14.06.11

विषय मै० आर० के० ब्रिक्स फील्ड्स, ग्राम बुलैरा, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियिम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

सन्दर्भ : आवेदन पत्र संख्या .... शून्य .... दिनांक 01.06.11

जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण तथा नियन्त्रण) अधिनियिम 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियिम कहा है, के अधीन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मै० आर० के० ब्रिक्स फील्ड्स, ग्राम बुलैरा, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू/औद्योगिक बहिः श्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुएँ में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार किया जाता है।

2. यह सहमति वर्ष ....2011........ के मास .... जून .... दिनांक 01.06.11 से .... 31.12.2011 अविधि (छः माह) .... के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974 और इसके संशोधित अधिनियिम 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनिमि के अनुरार जो लागू हो का अधिकारी व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के लिए और उराकी ओर से

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : अनुलग्नक (सहमति शर्तें)

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

दूरभाष : 05732–259039
फैक्स : 05732–259039

शिवपुरी, (स्टेट बैंक के सामने), रेलवे रोड, बुलन्दशहर – 203001

14.10.10

पंजीकृत

संदर्भ संख्या 2072 | BR-20 /वायु प्रदूषण/ 2011 दिनांक 14.06.11

सेवा में,

मै० आर० के० ब्रिक फील्ड,
ग्रा०- दुर्लभपुर, तह०- सिकन्दराबाद,
जनपद- बुलन्दशहर।

विषय– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 संशोधित अधिनियम, 1987 की धारा 21 के अर्न्तगत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया अपने आवेदनपत्र दिनांक 01.06.11 का अवलोकन करें। आपके आवेदन का परीक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या 1202 सहमति (वायु) आदेश/ 2011 दिनांक 14.06.11 को संलग्न किया जा रहा है आपका ध्यान क्रमांक संख्या (1)(3)(4)(6)(7)(8)(10)(14) जो नीचे वर्णित है, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है।

1. सहमति में दी गई शर्तों एवं दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय में अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. .... के०बी०ए० क्षमता के डी०जी० सैट से संलग्न चिमनी को भूतल/भवन छत से .... मी० ऊँचा किया जाय।
3. फ्लू, गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के दो .... माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु व्यवस्था जैसे बैफिल्ड ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का प्राविधान, संचालन एवं रखरखाव इस प्रकार किया जाय, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले–आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. आपके ईंट भट्टे का संचालन इस प्रकार से हो कि वायु मण्डल की गुणता सदैव मानकों के अनुरूप रहें।
7. ईंट भट्टा परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें। परिसर के चारों ओर कम से कम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया जाये।
8. यह सहमति आदेश केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए मान्य है।
9. आपको उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा पूर्ण

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
शिवपुरी, (स्टेट बैंक के सामने), रेलवे रोड, बुलन्दशहर – 203001
दूरभाष : 05732–259039
फैक्स : 05732–259039

सहमति आदेश-प्रपत्र

संख्या ....1208......../सहमति (वायु) आदेश/2011........ दिनांक 14-06-11

विषय – सहमति मै० आर० के० ब्रिक फील्ड्स, ग्रा०-दुल्हेरा, वि०ख०-स्याना, जनपद-बुलन्दशहर

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियिम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

सन्दर्भ : आवेदन पत्र संख्या ....शून्य.... दिनांक ....01.06.11....

1. वायु अधिनियम के 1981 अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र के अनुक्रम में मै० ....आर० के० ब्रिक फील्ड्स.... को अपने संयन्त्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. वायु सहमति दिनांक ....01.06.2011.... से ....31.12.2011.... अवधि तक मान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियिम 1987 के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

संलग्नक : अनुलग्नक
(सहमति शर्तें)

क्षेत्रीय अधिकारी

रजिस्टर्ड नं0–एडी0–4
लाइसेन्स सं0– डब्ल्यू0पी0–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, 21 नवम्बर, 1992 ई0 (कार्तिक 30, 1914 शक संवत्)

खण्ड–घ––पंचायती राज

18 सितम्बर 1992 ई0 संख्या 2117/21–1163–90–92–उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत बुलन्दशहर ने जनपद बुलन्दशहर के ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टा, टाईल्स, खपड़ा, चूना तथा सुर्खी भट्टी आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपविधियाँ बनाई हैं, जिनकी पुष्टि में एम0 रामचन्द्रम आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ ने कर दी है, जिन्हें उक्त एक्ट की धारा 242(2) के प्रयोजन हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उपविधियाँ

1. कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या अन्य संस्था राजकीय विभाग राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थाऐं आदि जनपद बुलन्दशहर के ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट–भट्टा, टाईल्स, खपड़ा, चूना या सुर्खी आदि बिना जिला पंचायत बुलन्दशहर से लाइसेन्स प्राप्त किये न बनायेगा, न फूँकेगा और न बनवायेगा और न ही फुँकवायेगा।

2. इन उपविधियों के अन्तर्गत दिया जाने वाला अनुज्ञा–पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा

(अ) :– आबादी, सार्वजनिक इमारत, अस्पताल, विद्यालय ऐसी इमारत अथवा स्थान जो ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करने के प्रयोग में लाये जाते हैं, ईंट–भट्टा, टाईल्स, खपड़ा, चूना या सुर्खी 200 मीटर की दूरी के अन्दर न बनाया और न ही फूँका जायेगा।

(ब) :– सार्वजनिक राष्ट्रीय तथा राज्य मार्ग के मध्य से 50 मीटर अन्य मार्गों के मध्य से 25 मीटर के भीतर किसी भट्टे का निर्माण नहीं किया जायेगा और न ईंट, टाईल्स, खपड़ा, चूना सुर्खी आदि फूँका जायेगा और न ही ईंट तथा खपड़ा आदि एकत्रित किया जायेगा और उसके बनाने व निर्माण करने या फूँकने का प्रयत्न किया जायेगा।

(स) :– आम के बाग से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में ईंटों के भट्टों के भट्टे की दूरी 1500 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये। उत्तर–दक्षिण दिशा में यह दूरी 300 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये।

(द) :– उपरोक्त निर्धारित दूरी केवल उन आम देसी या कलमी बागों पर लागू होंगें, जिनका क्षेत्रफल अकेले अथवा कई बागों का संयुक्त रूप से ढाई एकड़ से कम न हो । आम के बागों तथा उसकी पौधशालाओं, (नर्सरी) में कोई अन्तर नहीं समझा जायेगा, जो एक दूसरे से मिले हो। अपर मुख्य अधिकारी लाईसेंसिग अधिकारी होंगें।

3 इन उपविधियों के अन्तर्गत लाईसेन्स की अवधि प्रत्येक वर्ष एक अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होगी।

4 इन उपविधियों के किसी प्रकार के उल्लंघन पर लाईसेन्स अधिकारी को अनुज्ञा–पत्र निरस्त करने, निलम्बित करने अथव स्थगित करने का अधिकार होगा।

5 लाईसेन्स अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध 30 दिन के अन्दर, अध्यक्ष जिला पंचायत को अपील की जा सकती है। जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

6 अनुज्ञा–पत्र में आवेदन निर्धारित रूप पर किया जायेगा, जो निर्धारित शुल्क अदा कर पंचाय कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा इसका मूल्य नये भट्टों हेतु 10/– प्रति आवेदन–पत्र तथा नवीनीकरण के लि 5/–प्रति आवेदन–पत्र होगा।

7 अनुज्ञा–पत्र आवेदन–पत्र के साथ ईंट, टाईल्स, चूना आदि के बनाने या फूँकने के स्थल व राजस्व अभिलेा जो 6 माह पूर्व का न हो प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी दूसरे से लिया गया हो तो उसव इकरारनामा राजस्व विभाग द्वारा निर्धरित नियमों के अन्तर्गत कराकर प्रस्तुत करना होगा।

8. शुल्क निम्नलिखित होगा :–

(क) चिमनी ईंट भट्टा	2000.00 वार्षिव
(ख) बिना चिमनी ईंट भट्टा अनुज्ञा शुल्क पत्र	100.00 वार्षिक
(ग) टाईल्स अनुज्ञा पत्र शुल्क	500.00 वार्षिक
(घ) चूना या सुर्खी, इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूँकने का अनुज्ञा–पत्र शुल्क	500.00 वार्षिक
(च) चूना या सुर्खी बैल चक्की द्वारा बनाने या फूँकने का अनुज्ञा–पत्र शुल्क	100.00 वार्षिक

9. ईंट भट्टा, चूना सुर्खी, टाईल्स आदि बनाने के प्रारम्भिक कार्य करने के एक माह पूर्व आवेदन–पत्र कार्यालय जिला पंचायत, बुलन्दशहर को दिया जायेगा। नवीनीकरण की दशा में यदि कार्य बराबर जारी रखना चाहते हैं तो पूर्व अनुज्ञा–पत्र की तिथि समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व आगामी वर्ष का अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10. कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देंगे जो असत्य हो या उपविधियों से सम्बन्धित ऐसी सूचना, जिनका अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी तथा जिला पंचायत का कोई अन्य कर्मचारी जिसकी नियुक्ति इस कार्य के लिए की गई हो, मांगे तो देने से इन्कार नहीं करेंगें।

11. भट्टे की ईंटों पर बनाने का वर्ष तथा भट्टा या फर्म का नाम उसका चिन्ह या ट्रेड मार्क अंकित करना अनिवार्य होगा।

12. ईंट–भट्टा, सुर्खी, खपड़ा, टाईल्स मालिक आदि लाइसेन्स अधिकारी के किसी आदेश का पालन न करें तो उनके विरूद्ध धारा 133, सी0आर0पी0सी0 के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

13. एक अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने पर 300.00 रूपये का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा उसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर भट्टे मालिक के विरूद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।

14. ये उपविधियॉ गजट में प्रकाशन तिथि से लागू होंगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अथ दण्ड से दण्डनीय होगा जो अंकन रूपये 250.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, 10.00 रूपये प्रतिदिन तक अर्थदण्ड हो सकेगा या अर्थदण्ड का भुगतान न किये जायें तो कारावास से दण्डित किया जायेगा। जो तीन मास तक हो सकेगा।

प्रथम संशोधन

इलाहाबाद, 5 जुलाई, 2003 ई0 (आषाढ़ 14, 1025 शक संवत्)

25 अप्रैल, 2003 ई0

सं0 564/23-30-2000-02-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, बुलन्दशहर ने जनपद बुलन्दशहर के ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्टा, टाईल्स, खपड़ा, चूना तथा सीर्खी भट्टी आदि को नियंत्रित एवं नियमित करने के उद्देश्य से उपविधियां बनाई हैं, जो आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की विज्ञप्ति संख्या 2117/21-1163-90-92, दिनांक 18 सितम्बर, 1992 द्वारा पुष्टि के उपरान्त उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश शासकीय गजट, दिनांक 21 नवम्बर 1992 ई0 (कार्तिक 30, 1914 शक संवत) में प्रकाशित होकर जनपद बुलन्दशहर के ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभावी है, के प्रस्तर 8 (अ) में एन0एस0 रवि, आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा निम्नांकित संशोधन की पुष्टि करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

ईट भट्टा आदि उपविधियों की धारा 8 (अ) में संशोधन

प्रस्तर 8 (अ)	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
	रू0	रू0

(एन0एस0रवि)
आयुक्त
मेरठ, मण्डल मेरठ।